बिहार सरकार
गृह विभाग
सैनिक कल्याण निदेशालय

संकल्प

विषय : शौर्य पुरस्कार से अलंकृत बिहार निवासी सैनिकों (सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) को नगद पुरस्कार, जमीन के बदले नगद राशि एवं वार्षिक एन्यूटि देने के संबंध में ।

पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार का सुझाव रहा है कि विभिन्न शौर्य पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को राज्य सरकारों द्वारा दिये जा रहे नगद पुरस्कार तथा जमीन के बदले नगद राशि में एकरूपता लायी जाय और उन राज्यों में जहाँ इन अलंकरणों से विभूषित सैनिकों को अभी नगद पुरस्कार नहीं दी जा रही है, उपलब्ध करायी जाय ।

2. बिहार सरकार, गृह (आरक्षी) विभाग, राज्य सैनिक बोर्ड के संकल्प संख्या-1620 दिनांक 7-9-1983 के द्वारा निर्धारित दर के अनुसार सम्प्रति राज्य में विभिन्न अलंकरण प्राप्त कर्त्ताओं को नगद पुरस्कार दी जा रही थी । केन्द्र सरकार की अनुशंसा के आलोक में उपरोक्त को पुनरिक्षित करते हुए सशस्त्र सेना (सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) के बिहार निवासी शौर्य पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए दिनांक 1-1-97 से निम्नलिखित दर से नगद पुरस्कार, जमीन के बदले नगद राशि एवं वार्षिक एन्यूटि भुगतेय होगा ।

क्र०सं०	पुरस्कार का नाम	नगद पुरस्कार की राशि	जमीन के बदले की राशि ।	वार्षिक एन्यूटि
1.	2.	3.	4.	5.
1.	परमवीर चक्र	22,500.00	1,50,000.00	1,000.00
2.	अशोक चक्र	20,000.00	1,25,000.00	800.00
3.	सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल ।	17,000.00	1,10,000.00	600.00
4.	परम विशिष्ट सेवा मेडल	15,000.00	1,00,000.00	400.00
5.	महावीर चक्र	15,000.00	1,00,000.00	400.00
6.	कीर्ति चक्र	12,000.00	75,000.00	350.00
7.	उत्तम युद्ध सेवा मेडल	10,000.00	65,000.00	350.00
8.	अतिविशिष्ट सेवा मेडल	7,000.00	50,000.00	300.00
9.	वीर चक्र	7,000.00	50,000.00	300.00

.....2/-

13

1.	2.	3.	4.	5.
10.	शौर्य चक्र	5,000.00	40,000.00	250.00
11.	युद्ध सेवा मेडल	4,000.00	30,000.00	250.00
12.	सेना, नौ सेना एवं वायु सेना मेडल	3,000.00	20,000.00	250.00
13.	विशिष्ट सेवा मेडल	3,000.00	20,000.00	250.00
14.	मेंशन-इन-डिस्पैच	2,000.00	10,000.00	150.00

3. नगद पुरस्कार जमीन के बदले नगद राशि एवं वार्षिक एन्यूटि की स्वीकृति को शासित करने के निबंधन और शर्तें निम्नलिखित होंगी :-

(क) केवल बिहार के स्थाई निवासी सैनिक (स्थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) ही नगद पुरस्कार, वार्षिकी एवं जमीन के बदले राशि पाने के पात्र होंगे ।

(ख) इस योजना का लाभ पुरस्कार प्राप्त कर्त्ता अथवा उनके उत्तराधिकारी को मिल सकता है बशर्ते कि वे सद्‌व्यवहारी / भारत सरकार के प्रति सतत् निष्ठावान हों । इस शर्त्त का उलंघन करने पर राज्य सरकार को अनुदान रोकने एवं रद्द करने का अधिकार होगा ।

(ग) यदि उत्तराधिकारी (मरणोपरान्त पुरस्कार की दशा में अथवा ऐसी दशा में जहाँ अनुदान स्वीकृति के पूर्व पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता की मृत्यु हो गयी हो), नाबालिग हो तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह अनुमानित रकम की सुरक्षा और अनुदान ग्राही के लाभार्थ उनके उपयोग को सुनिश्चित करे ।

(घ) मरणोपरान्त पुरस्कार की दशा में अथवा ऐसी स्थिति जहाँ पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता की मृत्यु, यथास्थिति, नगद पुरस्कार, वार्षिकी एवं जमीन के बदले नगद राशि की स्वीकृति की पूर्व हो जाय वहाँ उत्तराधिकारी का निर्धारण अधिमानता क्रम से निम्नलिखित में से किसी एक के पक्ष में किया जायगा :-

(I) पत्नी / पति
(II) नाबालिग पुत्र जिसमें सौतेला पुत्र भी शामिल है ।
(III) अविवाहित / विधवा पुत्री जिसमें सौतेली पुत्री भी शामिल है ।
(IV) पिता
(V) माता
(VI) 18 वर्ष से कम उम्र के भाई और अविवाहित / विधवा बहन ।

किसी उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाने की दशा में उसमें अधिमानता के क्रम से अगले उत्तराधिकारी के पक्ष के दावे की स्वीकृति दी जायगी ।

(ड॰) नगद पुरस्कार एक मुस्त भुगतान किया जायगा ।

(च) शौर्य पुरस्कार एक से अधिक बार प्राप्त होने की दशा में चाहे वह उसी कोटि के हो अथवा उच्चतर कोटि का हो नगद पुरस्कार की पूरी राशि प्रत्येक बार भुगतेय होगी ।

(छ) किसी शौर्य पुरस्कार के अलावे अन्य पुरस्कारों की दशा में नगद पुरस्कार जीवन काल में एकबार ही देय होगा ।

[redacted]ों की अवधि तक वार्षिकी [redacted]।

(झ) यदि वार्षिकी किसी निम्न कोटि के पुरस्कार के लिए स्वीकृति हो और वार्षिकी प्राप्तकर्त्ता को बाद में उच्च स्तर का पुरस्कार, यथास्थिति, प्राप्त होता हो या उत्तराधिकारी को मिलता हो तो निम्न कोटि के वार्षिकी समाप्त हो जायेगी और उच्चतर पुरस्कार के तदनुरूप वार्षिकी अधिकतम 30 वर्षों तक फिर से देय होगी ।

(ट) यदि अनुदान ग्राही उसी कोटि का पुरस्कार एक से अधिकबार प्राप्त करते हों अथवा वार्षिकी की उतनी ही रकम वाला किसी भिन्न कोटि का पुरस्कार प्राप्त करते हो तो वार्षिकी की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा । किन्तु अवधि की गणना प्रत्येक बार फिर से की जायेगी ।

(ठ) जमीन के बदले नगद राशि का एक मुस्त भुगतान जीवन काल में एक बार ही किया जायगा ।

(ड) यदि निम्न कोटि के पुरस्कार के लिए जमीन के बदले नगद राशि दिया जाय और बाद में पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता को उच्च कोटि का पुरस्कार मिले तो जमीन के बदले नगद राशि के संबंध में उच्चतर और निम्नतम के बीच अन्तर राशि का भुगतान किया जायगा ।

(ढ) पुरस्कार प्राप्तकर्ता, बिहार सरकार, गृह विभाग, सैनिक कल्याण निदेशालय के सम्बद्ध सर्विस मुख्यालय के माध्यम से संगत राजपत्र की अधिसूचना के उद्धरण के साथ आवेदनपत्र देंगे ।

(ण) आवेदन पत्र में निम्नलिखित विशिष्टयां अन्तर्विष्ट हो :- नम्बर, रैंक एवं नाम, यूनिट का नाम, स्थायी पता (पुलिस स्टेशन सहित) पुरस्कार का नाम, पुरस्कार प्राप्त करने की तिथि / पूर्व में प्राप्त शौर्य एवं अन्य पुरस्कार की विवरणी (तिथि के साथ) राज्य सरकार से पूर्व के पुरस्कार के लिए प्राप्त नगद राशि, वार्षिकी एवं जमीन के बदले नगद राशि के विवरण के साथ बैंक शाखा का नाम ।

(11)

§ग§ मरणोपरान्त पुरस्कार की दशा में अथवा ऐसी स्थिति में जहाँ अनुदान की स्वीकृति के पूर्व पुरस्कार प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाय वहाँ आवेदन पत्र में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाऐं अन्तर्विष्ट होगी:- उत्तराधिकारी का नाम, उत्तराधिकारी का स्थाई पता, उत्तराधिकारी की उम्र, पुरस्कार प्राप्तकर्ता के साथ उत्तराधिकारी का संबंध ।

5. यह सुविधा 01 जनवरी, 1997 से अलंकरण प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कृत करने के संबंध में प्रभावकारी होगा ।

आदेश :आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और यह भी आदेश दिया जाता है कि इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पो0- हिनू, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी / निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय / सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक-4, विंग नं0-5, आर0के0 पुरम, नई दिल्ली-110066 को अग्रसारित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से ,

11/5/99

§इन्दु प्रसाद सिंह§
सरकार के उप-सचिव,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक/सै0क0नि0/5801/78/अं-V-I/ 357 /पटना-15, दिनांक 11 मई 99

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, पो0-हिनू, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी प्रमण्डलायुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी / निदेशक, सैनिक कल्याण / सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली-110066 को सूचनार्थ अग्रसारित ।

11/5/99

सरकार के उप-सचिव,
बिहार, पटना ।